राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736

क्रमांक : एफ 4 ( ) आकाशि/नि.सं./2022/460 दिनांक 23.5.2022

संस्था सचिव /प्राचार्य
निजी महाविद्यालय
राजस्थान

विषय: सत्र 2017-18 से 2022-23 तक की अवधि में विभिन्न कारणों से NOC पोर्टल पर आवेदन करने के डिफाल्टर रहे निजी महाविद्यालयों के सम्बन्ध में NOC पोर्टल खोलने बाबत

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऐसी संस्थाएं जो किन्हीं कारण से पूर्व में NOC पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं थे, या 2017-18 के बाद के वर्षों में NOC पोर्टल पर डिफाल्टर रहे, उन संस्थाओं के लिए दिनांक **25.5.2022 से 15.6.2022** तक पोर्टल खोला जाता है।

संस्थाओं को इस हेतु NOC पोर्टल पर SSO ID के माध्यम से महाविद्यालय के संचालन की स्थिति के सम्बन्ध में प्रारम्भिक सूचनाएं व संबंधित दस्तावेज (संलग्न सूची अनुसार) **दिनांक 10.6.2022 तक** ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। संस्था द्वारा अपलोडेड दस्तावेजों की विभाग स्तर पर जांच उपरान्त उन महाविद्यालयों को NOC पोर्टल पर आवेदन की अनुमति ऑनलाइन ही प्रदान की जावेगी, इस हेतु संस्थाओं को अपने SSO लॉगिन में प्रतिदिन अनुमति की स्थिति ज्ञात करनी होगी। इस ऑनलाइन अनुमति के पश्चात संस्था हेतु पोर्टल खुल जाएगा जिसके उपरान्त संस्था आवेदन कर सकेगी।

ध्यान रहे, कि सभी PNOC/ TNOC प्राप्त संचालित निजी संस्थाओं को राज्य सरकार के निर्देशानुसार NOC पोर्टल पर नियमित रूप से हर सत्र में रजिस्टर्ड हो कर अपना डेटा अपडेट करना आवश्यक है। साथ ही ऐसे महाविद्यालय जिनके कतिपय विषय/संकाय के प्रकरण TNOC में संचालित हैं तथा वो NOC पोर्टल पर डिफाल्टर रहे हैं, उन्हें भी इस अवसर का लाभ लेकर आवेदन करना आवश्यक है।

आगामी सत्रों में NOC पोर्टल पर जारी NOC की ऑनलाइन जांच उपरांत ही सम्बद्धक विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता हेतु आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे।

NOC पोर्टल पर अनुमति हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची :-

1- प्रथम NOC प्रमाण पत्र
2- अंतिम NOC प्रमाण पत्र
3- सम्बद्धक विश्वविद्यालय का नवीनतम सम्बद्धता प्रमाण पत्र
4- सत्र 2020-21 का परीक्षा परिणाम
(महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम (TR) की प्रति)
5- सत्र 2021-22 के लिए परीक्षा फॉर्म भरे जाने का प्रमाण

आयुक्त कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि :

1- वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को अपलोड हेतु।

डॉ अल्पना व्यास
संयुक्त निदेशक(निजी संस्थाएं)